

उलंघन पत्र

उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

Speed post/Email



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- CHG/NRP/Fe/30CHG01001

दिनांक -27.05.2022

प्रेषित- श्री मेघपल सिंह, नमित खन मलिक
मेसेर्स जयस्वल नेको इंडुस्ट्रिज लिमिटेड.
स्टील प्लंट दिविसिओन, सिल्टरा गोव्थ केंद्र
पोस्ट- रायपुर, छत्तीसगढ़ - ४९३१११

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के कंकेर जिले मे स्थित आपकी छोतेदोंगेर लौहा खदान 192.25 हेक्टर हे. मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 19.04.2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री T.Prasanna, President(Mines) की उपस्थिति मे किया गया तथा खान के निरीक्षण मे पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1 st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2020-21.
35(4)	Every holder of a mining lease shall achieve at least three-star rating within a period of three years with effect from the 27th February, 2017 or four years from the date of commencement of mining operations, or date of notification of rule, as the case may be, and thereafter maintain the same on year- on- year basis. Online self-assessment report of Star Rating of your mine has been found below three-star rating till the reporting year 2020-21.
45(5)(c)	In annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; i. At Part I : lad use information is furnished incorrectly. ii. At part-V (General Geology & Mining), updated reserves and resources at the end of the year are furnished incorrectly.

2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45 (7) के अंतर्गत

(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 26(2) एवं 35(4) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

1. अतःआपको यहभीनिर्देश दिया जाता है किआप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(C) काअतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(देबदुर्लभ दाश)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर। प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -

Email-com.cz@ibm.gov.in

2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

भवदीय

(देबदुर्लभ दाश)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,